न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 40 / 2017 (2017 / 00074) जिला–अजमेर

1. कैलाश फुलवारी पुत्र स्व0 श्री प्रभुलाल
2. श्रीमती मैना पत्नी स्व0 प्रभुलाल
   जरिये बहैसियत मुख्त्यारआम श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री मेघराज जाति रेगर निवसी ग्राम बिडकचियावास तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

–––अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर।

–––––प्रत्यर्थी

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन दिनांक 11–02–2017
अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 1501 / 2016
बउनवान कैलश फुलवारी बनाम राज0 सरकार

————

उपस्थित– 1. श्री विजय सिंह रावत़ अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः– 13–06–2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसांगन के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत राजस्व रेकार्ड में नाम दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11–02–2017 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject to Limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा–5 पर कथन किया है कि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की विधिवत जानकारी जब अपीलार्थी अपने अधिवक्ता से उक्त प्रकरण की जानकारी लेने हेतु दिनांक 10–4–2017 को व्यक्तिगत रूपसे सम्पर्क किया तो जानकारी हुई कि उक्त दुरूस्ती प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा दिनांक 11–2–2017 को खारिज कर दिया गया है तथा उसकी प्रमाणित प्रति भी प्राप्त की जा चुकी है जिसकी अपील किया जाना कानूनन आवश्यक है तब अपीलार्थी पुनः अपने अधिवक्ता से कानूनी सलाह प्राप्त कर एवं फीस आदि की व्यवस्था कर यह अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी के विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिंदु पर दिये गये तर्को पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एंव राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी पैतृक खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 60 में दर्ज खसरा नम्बरान क्रमश 4277, 4283, 4284, 4285, 4286, 4326, 4327, 4328, 4329 एवं 4330 कुल किता 10 कुल रकबा 1.54 हैक्टर वाके ग्राम बिडकचियावास भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र मांगलियावास तहसील पीसांगन जिला अजमेर में स्थित है जिसमें अपीलार्थीगण का 1 हिस्से अनुसार वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2070–73 में दर्ज चली आ रही है जो कि उक्त वर्णित आराजियात चौसाला जमाबंदी में अपीलार्थीगण के दादा एवं ससुर श्री छीतर वल्द मूला के नाम खातेदारी में दर्ज थी कि जिनके स्वर्गवास के पश्चात जरिये विरासत नामान्तरकरण दर्ज करते समय अपीलार्थी कैलाश की

वल्दियत प्रभुलाल के स्थान पर सहवन से छीतर अंकित कर दी। तत्पश्चात राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में उक्त त्रुटिपूर्ण गलत इन्द्राज के अनुसार आज दिवस तक अपीलार्थी का नाम कैलाश पुत्र छीतर दर्ज चला आ रहा है जिससे अपीलार्थी के पिता की वल्दियत छीतर के स्थान पर प्रभुलाल का इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना वांछित होने के समर्थन में सरपंच ग्राम पंचात बिड़कचियावास द्वारा जारी प्रमाणित सजरा प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर स्पष्ट कर दिया गया था कि अपीलार्थी कैलाश के पिता का नाम प्रभुलाल होना बखूबी साबित होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारज कर कानूनी भूल की है।

उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी का प्रस्तुत दुरूस्ती आवेदन पत्र में अपीलार्थी के पिता श्री छीतर के स्थान पर प्रभूलाल की वल्दियत दुरूस्ती की जानी थी जिससे उक्त वर्णित आराजियात के किसी भी अन्य सहखातेदारान के खातेदारी अधिकार एवं हक हकूक प्रभावित नहीं होने के बावजूद भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस आक्षेप को खारिज कर दिया कि सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है, का उल्लेख करते हुए अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर कानूनी भूल की है।

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी की वल्दियत कैलाश पुत्र प्रभुलाल पुत्र छीतर है इस प्रकार छीतर जो कि अपीलार्थी के दादा है तथा प्रभुलाल के पिता है जिसकी पुष्टि सरपंच ग्राम पंचायत बिडकचियावास द्वारा जारी प्रमाण पत्र से स्वतः स्पष्ट हो जाती है। अपीलार्थी ने कैलाश की वल्दियत छीतर के स्थान पर प्रभुलाल होने की सक्षम दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप ग्राम पंचायत द्वारा जारी सजरा प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र आदि समस्त दस्तावेजात पत्रावली पर उपलब्ध होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षैत्र से बाहर जाकर अपीलार्थी के खातेदरी एवं व्यक्तिगत हितो एवं अधिकारों के विपरीत जाकर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर कानूनी भूल की है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11–02–2017 विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी के राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया गया अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है। धारा–136 तहत प्रथम दृष्टया लिपिकीय टंकण त्रुटि को व पक्षकारों की सहमति से दुरूस्त किया जा सकता है। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती धारा 136 में अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। अपीलार्थीगण इन्द्राज दुरूस्ती हेतु सक्षम न्यायालय में दस्तावेजी साक्ष्य के साथ वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है। साथ ही अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में अन्य सहखातदारों को पक्षकार भी नहीं बनाया गया है जिससे सहखातेदारों के हित प्रभावित होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड

अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–02–2017 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी ने धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विवादग्रस्त आराजियात अपीलार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है कि वर्णित आराजियात चौसाला जमाबंदी सम्वत 2070–73 में अपीलार्थीगण के दादा एवं ससुर श्री छीतर वल्द मूला के नाम खातेदारी में दर्ज थी जिनके स्वर्गवास के पश्चात विरासतन नामान्तरकरण दर्ज करते समय अपीलार्थी कैलाश की वल्दियत प्रभूलाल के बजाय त्रुटिवश छीतर अंकित कर दी गई तब से अपीलार्थी का नाम कैलाश पुत्र छीतर दर्ज चला आ रहा है। अपीलार्थीगण ने अपीलार्थी के पिता की वल्दियत छीतर के स्थान पर प्रभुलाल का इन्द्राज दुरूस्ती करने हेतु निवेदन किया गया। अपीलार्थीगण ने सरपंच ग्राम पंचायत ब्रिकचियावास पंचायत समिति पीसांगन द्वारा दिनांक 23–05–2016 को जारी सजरा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें छीतर पुत्र मूला के वारिसानों में छीतर पुत्र मूलाराम के दो पुत्र बिरादर उर्फ बिरदा व प्रभु फौत हो चुके है तथा प्रभु की पत्नी मैना एवं कैलाश जीवित होने का अंकन किया गया है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि छीतर पुत्र मूला की मृत्यु के पश्चात विरासती नामान्तरकरण 30–11–78 को कैलाश पुत्र छीतर के नाम स्वीकृत किया गया है कैम्प ब्रिकचियावास में दिनांक 26–12–78 को नामान्तरकरण की पुस्त पर तहसीलदार पीसांगन द्वारा उल्लेखित किया है कि ''आज नामान्तरकरण विरासतन राजस्व अभिलेख के दौरान पेश हुआ। श्री छीतर पुत्र मूला के फौत होने एवं उसके वारिस श्री कैलाश पुत्र छीतर नाबालिग बसरबराही मैना माता के जीवित होने की पुष्टि हुई अतः खाता नम्बर 199 में मृतक श्री छीतर पुत्र मूला के स्थान पर कैलाश पुत्र छीतर बसरबराही में मैना माता के नाम दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है''। अधीनस्थ न्यायालय को छीतर पुत्र मूला के विधिक वारिसानों की जांच कर तथा विवादित आराजियात के सहखातेदारो को पक्षकार बनाकर विधिवत सुनवाई कर आदेश पारित करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–02–2017 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11–02–2017 अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 1501/2016 कैलाश बनाम राजस्थान सरकार त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है और प्रकरण उन्हे इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलार्थीगण की खातेदारी की आराजियात से लगते

हुए पड़ौसी खातदारान को पक्षकार बनाकर उनकी विधिवत सुनवाई कर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करे तथा तहसीदार पीसांगन से विवादित आराजियात की मौका रिपोर्ट प्राप्त करे तथा ग्राम ब्रिकचियावास में कैलाश पुत्र छीतर नाम का अन्य खातेदारान न हो इसकी भी जांच की जाये तथा विवादित आराजियात संबंधित समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों का भलीभांति अध्ययन कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 13–06–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल महेरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर